



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052026-272245  
CG-DL-E-05052026-272245

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2075]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2026/वैशाख 10, 1948

No. 2075]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2026/VAISAKHA 10, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

का.आ. 2148(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथानिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का खंड	चैनेज
(1)	(2)	(3)
रारा-154ए	पंजाब राज्य में चक्की, धार के निकट रारा-154 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर बनिखेत, चंबा को जोड़ने वाला और हिमाचल प्रदेश राज्य में भरमौर में समाप्त होने वाला राजमार्ग।	संपूर्ण रारा पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्य में।

[फा. सं. एनएच-14013/13/2026 -पी ऐंड एम.]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th April, 2026

**S.O. 2148(E).**— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

**Table**

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage
(1)	(2)	(3)
NH-154A	The highway starting from its junction with NH-154 near Chakki, Dhar in the State of Punjab connecting Banikhet, Chamba and terminating at Bharmour in the State of Himachal Pradesh	Entire NH in the state of Punjab and Himachal Pradesh.

[F. No. NH-14013/13/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

**का.आ. 2149(अ).**— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 20 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**तालिका**

(1)	(2)	(3)
“20	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 [किमी 0.00 से किमी 156.265 (बाघा सीमा – अमृतसर – जालंधर कैंट – होशियारपुर) तक खंड को छोड़कर], सं. 07 [किमी 20.500 से किमी 344.170 ( फाजिल्का – अबोहर – मलौट – भटिंडा – बरनाला – संगरूर – पटियाला – जिरकपुर) तक खंड को छोड़कर], सं. 148बी, सं. 154, सं. 254, सं. 354 [किमी 0.00 से किमी 165.610 (गुरदासपुर – डेरा बाबा नानक – रामदास – अमृतसर – भिखीविंड - अमरकोट) तक खंड को छोड़कर], सं. 354ई, सं. 503विस्तार, सं. 703 [किमी 12.00 से किमी 149.00 (लांब्रा – शाहकोट – मोगा – बरनाला खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 703ए, सं. 703बी, सं. 754 और रारा सं. 703एए के उतने भाग जो पंजाब राज्य में अवस्थित हैं।	पंजाब राज्य सरकार” ।

[फा. सं. एनएच-14013/13/2026 -पी ऐंड एम ]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: - मूल अधिसूचना सं. का.आ.1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पिछली बार संशोधन सं. का.आ.1999 (अ), दिनांक 22 अप्रैल 2026 द्वारा किया गया था।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th April, 2026

**S.O. 2149(E).**— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 20 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

**Table**

(1)	(2)	(3)
"20	So much of National Highways No. 3 [excluding from Km. 0.00 to Km. 156.265 (Wagah Border- Amritsar- Jalandhar Cantt.- Hoshiarpur)], No. 07 [excluding from Km. 20.500 to Km. 344.170 (Fazilka- Abohar- Malout- Bathinda- Barnala- Sangrur- Patiala- Zirakpur)], No. 148B, No. 154, No. 254, No. 354 [excluding from Km. 0.00 to Km. 165.610 (Gurdaspur- Dera Baba Nanak- Ramdas- Amritsar- Bhikhiwind-Amarkot)], No. 354E, No. 503 Extn., No. 703 [excluding from Km. 12.00 to Km. 149.00 (Lambra-Shahkot- Moga- Barnala section)], No. 703A, No. 703B, No. 754 and NH No. 703AA as are situated within the State of Punjab.	State Government of Punjab."

[F. No. NH-14013/13/2026-P&amp;M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: -The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1999(E), dated the 22nd March, 2026.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

**का.आ. 2150(अ).**— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 9 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"9	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 20 [किमी 11.00 से किमी 208.00 तक को छोड़कर] संख्या 20ए, संख्या 21ए [किमी 17.00 से किमी 35.00 तक को छोड़कर], संख्या 22 [किमी 337.140 से किमी 368.340 (वांग्तु-पोवारी जंक्शन खंड) को शामिल कर], परंतु सीमा सड़क विकास बोर्ड को सौंपे गए खंडों को छोड़कर और किमी 62.200 से किमी 156.507 (हरियाणा/हिमाचल प्रदेश सीमा-सोलन-कैथलीघाट-	हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार"

<p>शिमला बाईपास खंड] संख्या 70, संख्या 72 [किमी 97.000 से किमी 103.400 (पांवटा साहिब-हिमाचल प्रदेश/उत्तराखंड सीमा खंड) को छोड़कर], संख्या 72बी, संख्या 73ए, नया रारा संख्या 305, नया संख्या 503 (मतौर-धर्मशाला-मैक्लोडगंज खंड) और नया रारा संख्या 503 विस्तार, नया रारा संख्या 503ए, नया रारा संख्या 505ए, नया रारा संख्या 705 और नया रारा संख्या 907ए के उतने भाग जो हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।</p>	
--	--

[फा. सं. एनएच-14013/13/2026 -पी ऐंड एम.]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: - मूल अधिसूचना सं. का.आ.1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पिछली बार संशोधन सं. का.आ.1999 (अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2026 द्वारा किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2026

**S.O. 2150(E).**— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Table

(1)	(2)	(3)
“9	So much of National Highways No. 20[excluding km 11.00 to km 208.00] No. 20A, No. 21A [excluding from km 17.00 to km 35.00], No.22 [including from km. 337.140 to km. 368.340 (Wangtu-Powari junction section) but excluding the stretches entrusted to Border Road Development Board and from km. 62.200 to Km. 156.507 (Haryana/Himachal Border-Solan- Kaithlighat –Shimla Bypass section)] No.70, No.72 [excluding from km 97.000 to km 103.400 (Paonta Sahib- Himachal Pradesh/Uttarakhand border section)], No. 72B, No.73A, new NH No. 305, new No. 503 (Mataur-Dharamshala- Macleodganj section) and new NH No. 503 Extn, New NH No. 503A, New NH No. 505A , new NH No.705, and new NH No. 907A as are situated within the State of Himachal Pradesh.	State Government of Himachal Pradesh.”.

[F. No. NH-14013/13/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: -The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1999(E), dated the 22nd March, 2026.